न्यायालय बईजलास रागिनी डामोर आर.ए.एस सहायक कलक्टर (उपखंड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़(राज0)

दावा संख्या :– 29/2015

ग्रामवासीयान ग्राम रायता तहसील बेगूँ जरिये प्रतिनिधि :–

1. रामलाल पिता धन्ना जी जाति बलाई उम्र 40 वर्ष निवासी रायता, तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान
2. प्रताप पिता मोती जी जाति बलाई उम्र 65 वर्ष, निवासी रायता, तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान
3. हीरालाल पिता देवीलाल जी जाति धाकड़, उम्र 60 वर्ष निवासी रायता, तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान
4. देवा पिता हीरा जी जाति धाकड़ उम्र 70 वर्ष, निवासी रायता तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान
5. खेमराज पिता कूका जी जाति धाकड़ उम्र 70 वर्ष, निवासी रायता तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान

.....वादीगण

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये प्रतिनिधि जिला कलक्टर महोदय, चित्तौड़गढ़ राजस्थान
2 श्रीमान भूमिधारी जी तहसीलदार साहब, बेगूँ तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ राज.

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित : श्री सी.पी. शर्मा निर्णय दिनांकः:– 29.01.2018

अधिवक्ता वादीगण

निर्णय वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राज. टिनेन्सी एक्ट

वादीगण की ओर से वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट का ग्रामवासीयान रायता तहसील बेगूँ की ओर से प्रतिनिधि वाद बाबत् घोषणा कराये जाने "श्मशान" एवं इंद्राज़ दुरुस्ती हेतु वकील वादीगण श्री सी.पी. शर्मा द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन निम्न प्रकार से किया है किः–

यह कि ग्राम रायता प.मं. रायता तहसील बेगूँ में बंदोबस्त पूर्व के आराजी नंबर 88 रकबा 16 बिस्वा भूमि संवत् 2025–28 की जमाबंदी के राजकीय भूमि का खाता संख्या 01 में "श्मशान" 16 बिस्वा के रूप में दर्ज रेकार्ड थी।

यह कि ग्रामवासीयान रायता का एकमात्र श्मशान है, जहाँ हिन्दू समा के मृत व्यक्तियों की अंतिम क्रिया के रूप में जलाया जाता रहा है तथा यह ग्राम रायता का एकमात्र हिन्दू समाज का श्मशान रहा है।

यह कि संवत् 2022 में तहसील बेगूँ में बंदोबस्त (सैटलमेंट) हुआ है। इस सैटलमेंट में मिलान खसरा के अनुसार बंदोबस्त पूर्व के आराजी नंबर 88 के नये नंबर 194 बने हैं, लेकिन गलती से "श्मशान" शब्द के स्थान पर गै.मु. कब्रिस्तान शब्द लिख दिया गया है जो 1 बीघा 3 बिस्वा भूमि है।

यह कि श्मशान के स्थान पर गै.मु. कब्रिस्तान लिख दिये जाने से दो समाजों के मध्य अनावश्यक तनाव बनता जा रहा है एवं अभी "सरकार आपके द्वार" कार्यक्रम दिनांक 19.08.2017 के दौरान कुछ मुस्लिम समाज के व्यक्तियों ने ग्राम रायता के प्राचीन श्मशान को गै.मु. कब्रिस्तान मानते हुए इस पर से हिन्दू समाज को हटाये जाने के लिए अर्थात हिन्दू समाज को अतिक्रमी मानते हुए उन्हें वहाँ से हटाये जाने का अनुरोध सरकार से किया तथा प्रशासन द्वारा भू.अ. निरीक्षण एवं पटवारी हल्का को श्मशान भूमि को कब्रिस्तान बनाने के लिए खाली कराया जाने का अवांछित प्रयास किया जा रहा है, जबकि ग्राम रायता में यह हिन्दू समाज का श्मशान करीब 100 वर्षों से भी अधिक पुराना होकर ग्रामवासी बताते हैं कि जबसे रायता ग्राम बसा है तब से यह भूमि हिन्दू समाज के मृत व्यक्तियों को जलाने के लिए श्मशान के रूप में काम में ली जा रही है। इस भूमि पर हिन्दू समाज एवं ग्रामवासी रायता का लंबे समय से उपयोग उपभोग में लिये जाते रहने से चिरभोग एवं कष्टमयी सुखाधिकार है। इस स्थान से हिन्दू समाज को बेकाबिज किये जाने की स्थिति में संपूर्ण रायता ग्रामवासी एवं हिन्दू समाज को अपूरणीय कानूनी एवं धार्मिक अधिकारों की क्षति होगी, जिसकी पूर्ति कदापि संभव नहीं होगी।

यह कि ग्रामवासियान द्वारा प्रतिवादीगण को दिनांक 17.12.2014 को धारा 80 सीपीसी का विधि अनुसार सूचना पत्र दिये जाने के उपरांत भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। यहाँ तक कि कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब भी नहीं दिया गया है इसलिए वादीगण को यह घोषणा व इंद्राज दुरुस्ती का वाद लाये जाने की आवश्यकता हुई है। क्रमशः 2

यह कि ग्राम रायता बड़ा ग्राम है तथा सभी निवासियों को इस वाद में पक्षकार बनना संभव नहीं होने से ग्रामवासियान की ओर से यह प्रतिनिधि वाद प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसकी स्वीकृति के लिए नियमानुसार प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया गया है।

अतः ग्रामवासीयान रायता जरिये प्रतिनिधि वादीगण न्यायालय श्रीमान् आपसे निम्न अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी हैं :–

कि ग्राम रायता प.मं. रायता की वर्तमान आराजी नं. 194 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा भूमि अर्थात् 0.1860 है0 भूमि को ''कब्रिस्तान'' शब्द हटाकर ग्रामवासी रायता की ''श्मशान'' भूमि अंकित किये जाकर घोषणात्मक एवं इंद्राज दुरुस्ती की डिक्री वादीगण ग्रामवासीयान रायता के पक्ष में प्रदान करायी जावे।

कि अन्य कोई अनुतोष जो सुलभ वादीगण हो प्रदान कराया जावे।

कि वाद व्यय एवं वकील महनताना भी वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

उक्त वाद पत्र वादीगण का न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जाँच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से पैरोकार सरकार तहसीलदार बेगूँ द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत करते हुए अंकन किया गया है कि वाद वर्णित आराजी के नये आ.नं. 194 रकबा 0.1860 है0 (पूर्व के आराजी नंबर 88 रकबा 16 बिस्वा) भूमि को कब्रिस्तान के रूप में दर्ज कर लिया गया है, जो गलत है एवं कब्रिस्तान के बजाय श्मशान दर्ज किया जाना विधिसंगत है। हमारे द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत जमाबंदी एवं अन्य दस्तावेज व पैरोकार सरकार तहसीलदार बेगूँ के जवाबदावा का अवलोकन किया गया। चूँकि लंबे समय से वादीगण ग्रामवासीयान ग्राम रायता प.मं. रायता तहसील बेगूँ वाद वर्णित आराजी नये आ.नं. 194 रकबा 0.1860 है0 भूमि में हिंदू समाज के ग्राम रायता निवासी मृत व्यक्तियों की अंतिम क्रिया करते हुए मृत व्यक्तियों को जलाते आ रहे हैं, अतः पैरोकार सरकार के जवाब एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर वादीगण वाद वर्णित भूमि नये आ.नं. 194 रकबा 0.1860 है0 (पूर्व के आराजी नंबर 88 रकबा 16 बिस्वा) भूमि को ''कब्रिस्तान'' के स्थान पर ''श्मशान'' भूमि के अंकन किये जाने की घोषणा एवं इंद्राज़ दुरुस्ती के अधिकारी पाये जाते हैं।

अतः वाद वादीगण का अंतर्गत धारा 88 आर.टी. एक्ट का स्वीकार किया जाता है। ग्राम रायता, प.मं. रायता तहसील बेगूँ की वाद वर्णित भूमि जिसके नये आ.नं. 194 रकबा 0.1860 है0 (पूर्व के आराजी नंबर 88 रकबा 16 बिस्वा) भूमि को ''कब्रिस्तान'' के स्थान पर ''श्मशान'' भूमि के अंकन किये जाने की घोषणा की जाती है तथा तद्नुसार राजस्व रेकार्ड में इंद्राज़ दुरुस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

यह निर्णय आज दिनांक 29/01/2018 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(रागिनी डामोर)
सहायक कलक्टर
(उपखंड अधिकारी), बेगूँ

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बेगूँ, जिला–चित्तौड़गढ़ (राज॰)

दावा संख्या :– 29/2015

ग्रामवासीयान ग्राम रायता तहसील बेगूँ जरिये प्रतिनिधि :–

1. रामलाल पिता धन्ना जी जाति बलाई उम्र 40 वर्ष निवासी रायता, तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान
2. प्रताप पिता मोती जी जाति बलाई उम्र 65 वर्ष, निवासी रायता, तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान
3. हीरालाल पिता देवीलाल जी जाति धाकड़, उम्र 60 वर्ष निवासी रायता, तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान
4. देवा पिता हीरा जी जाति धाकड़ उम्र 70 वर्ष, निवासी रायता तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान
5. खेमराज पिता कूका जी जाति धाकड़ उम्र 70 वर्ष, निवासी रायता तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान

.....वादीगण

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये प्रतिनिधि जिला कलक्टर महोदय, चित्तौड़गढ़ राजस्थान
2 श्रीमान भूमिधारी जी तहसीलदार साहब, बेगूँ तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ राज.

.....प्रतिवादीगण

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सी.पी. शर्मा की उपस्थिति में इस वाद पत्र अ0धा0 88 आर0टी0एक्ट का आज तारीख 29/01/2018 को उपखंड अधिकारी बेगूँ के समक्ष अंतिम डिक्री निपटारे के लिए पेश होने पर अंतिम डिक्री के आदेश निम्नानुसार दिये जाते हैं:–

अतः वाद वादीगण का अंतर्गत धारा 88 आर.टी. एक्ट का स्वीकार किया जाता है। ग्राम रायता, प.मं. रायता तहसील बेगूँ की वाद वर्णित भूमि जिसके नये आ.नं. 194 रकबा 0.1860 है0 (पूर्व के आराजी नंबर 88 रकबा 16 बिस्वा) भूमि को "कब्रिस्तान" के स्थान पर "श्मशान" भूमि के अंकन किये जाने की घोषणा की जाती है तथा तद्नुसार राजस्व रेकार्ड में इंद्राज़ दुरुस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 29/01/2018 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुहर से जारी की गई।

(रागिनी डामोर)
सहायक कलेक्टर
(उपखंड अधिकारी), बेगूँ

प्रतिलिपि : तहसीलदार बेगूँ को पालनार्थ दी जाती है।

सहायक कलेक्टर
(उपखंड अधिकारी), बेगूँ